

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 24.02.2025

FAO (OS) (COMM) 32/2025
आ.प्र.अ. (मू.वा.) (वाणि.) 32/2025

अड्यार गेट होटल्स लिमिटेड

....अपीलार्थी

द्वारा:

श्री राजीव नायर, श्री अमित सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्तागण के साथ श्री प्रतीक के. चड्ढा, श्री आदर्श रामानुजन, श्री प्रहलाद भट्ट, सुश्री मंजीरा दासगुप्ता, श्री श्रीकर ऐचुरी, सुश्री सुरभि सोनी और श्री अनिकेत चौहान, अधिवक्तागण।

बनाम

आईटीसी लिमिटेड और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा:

श्री मुकुल रोहतगी, श्री अरविंद निगम, वरिष्ठ अधिवक्तागण के साथ श्री अरविंद नायर, श्री हेमंत सिंह, सुश्री ममता झा, सुश्री श्रुतिमा एहर्सा, सुश्री ऐश्वर्या देबदर्शिनी, श्री निखिल रोहतगी, श्री

केशव, श्री अक्षय जोशी, श्री
अग्निश आदित्य, अधिवक्तागण।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री नवीन चावला
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री शालिंदर कौर

न्या. श्री नाविन चावला, (मौखिक)

सि.वि.आ. 11243/2025 (छूट)

1. सभी उचित अपवादों के अधीन, अनुमति दी गई।

कैविएट 87/2025


2. हमने प्रत्यर्थागण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की बात सुनी, जो इस
अपील की अग्रिम सूचना पर उपस्थित हुए हैं।

3. अतः, कैविएट समाप्त माना जाता है।

आ.प्र.अ.(मू.वा.)(वाणि.) 32/2025 व सि.वि.आ. 11241/2025, सि.वि.आ.
11242/2025

4. यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश
द्वारा दिनांक 13.02.2025 को सि.वा. (वाणि.) 119/2025 में पारित आदेश को
चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसका शीर्षक **आईटीसी लिमिटेड और अन्य
बनाम अड्यार गेट होटल्स लिमिटेड** है, जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश

ने अपीलकर्ता के पक्ष में और अपीलार्थी के विरुद्ध निम्नलिखित अंतरिम एकतरफा निषेधाज्ञा आदेश पारित किया है:

“37. परिणामस्वरूप, अगली सुनवाई की तारीख तक, प्रतिवादी, स्वयं या अपने निदेशकों/साझेदारों/मालिकों, समूह कंपनियों, सहयोगियों, विभागों, फर्मों, व्यवसाय में नियुक्त व्यक्तियों, लाइसेंसधारियों, फ्रेंचाइजी, डीलरों, वितरकों, उनके प्रमुख अधिकारियों, कर्मचारियों, वितरकों और एजेंटों, और प्रतिवादी की ओर से कार्य करने वाले सभी अन्य व्यक्तियों को, ट्रेडमार्क  DAKSHIN/ और/या किसी अन्य ट्रेडमार्क के अधीन रेस्तरां और खाद्य व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करने या लेन-देन करने से प्रतिबंधित किया जाता है, जो वादी संख्या 1 के पंजीकृत ट्रेडमार्क के समान और/या भ्रामक रूप से मिलते-जुलते हो सकते हैं।

38. इसके अलावा, प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह अपने सोशल मीडिया हैंडल/वेबसाइटों के साथ-साथ तृतीय-पक्ष वेबसाइटों जैसे <https://www.zomato.com/>, <https://www.eazydiner.com/> और <https://www.tripadvisor.in/> और/या किसी अन्य वेबसाइट/वेबपेज/सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म/ब्लॉग/ऑनलाइन स्थानों से उल्लंघनकारी ट्रेडमार्क वाले सभी लिस्टिंग/पोस्ट/लेखों को हटा दें।

5. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजीव नायर ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थीगण ने 12.02.1985 को एक समझौता किया था, जिसके अधीन अपीलार्थी संपत्ति के मालिक के रूप में कार्य करता था और प्रत्यर्थी संख्या 1 को "वेलकमग्रुप पार्क शेरटन" के नाम से एक होटल संचालित करना था। अपीलार्थी का दावा है कि 01.04.1989 को अपीलार्थी ने ही उक्त

संपत्ति पर "दक्षिण" नाम से एक रेस्तरां बनाने की कल्पना और योजना बनाई थी, जिसे दक्षिण भारतीय व्यंजन परोसने वाले एक उत्कृष्ट भोजनालय के रूप में स्थापित किया जाना था।

6. पक्षों के बीच 1985 में हुए समझौते में बाद में संशोधन और विस्तार किया गया, और अंततः यह 2015 में समाप्त हो गया।

7. प्रत्यर्थागण के उक्त संपत्ति से चले जाने के बाद, अपीलार्थी ने इंटर कॉन्टिनेंटल ग्रुप के साथ एक और समझौता किया, जिसने होटल का संचालन अपने हाथ में ले लिया। इस बीच, "दक्षिण" नाम से रेस्तरां चलता रहा, जबकि होटल का नाम बदलकर "क्राउन प्लाजा चेन्नई अड्यार पार्क" कर दिया गया।

8. नवंबर 2023 में, संपत्ति के मालिक ने उक्त होटल के संचालन को बंद करने और मौजूदा निर्माण को ध्वस्त करने का निर्णय लिया।

9. अप्रैल 2024 में उक्त संपत्ति पर निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसके कारण रेस्तरां को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा और बाद में अक्टूबर 2024 से इसे उसी सड़क पर स्थित एक अन्य संपत्ति में स्थानांतरित कर दिया गया।

10. उनका कहना है कि अपीलार्थी वास्तव में पूर्ण निर्माण और संचालन पूरा होने के बाद मूल परिसर में वापस जाना चाहता है।

11. अपीलार्थी का तर्क है कि बिना किसी पूर्व "रोकने और बंद करने" की सूचना के, प्रत्यर्थागण ने उपरोक्त मुकदमा माननीय एकल न्यायाधीश के समक्ष

दायर किया और माननीय एकल न्यायाधीश ने एकतरफा अंतरिम आदेश पारित कर अपीलार्थी के व्यवसाय को ठप्प कर दिया।

12. उनका निवेदन है कि मुकदमे की अग्रिम प्रति भी प्रत्यर्थागण द्वारा अपीलार्थी को केवल ईमेल के माध्यम से और कंपनी मास्टर डेटा में दिए गए अपीलार्थी के ईमेल आईडी पर ही भेजी गई थी। हालांकि, ईमेल "स्पैम बॉक्स" में चला गया, इसलिए अपीलार्थी को मुकदमे की फाइलिंग की जानकारी नहीं मिली और वे माननीय एकल न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। उनका कहना है कि प्रत्यर्थागण ने जानबूझकर अपीलार्थी को व्यक्तिगत रूप से मुकदमे की तामील कराने या कम से कम मुकदमे की सुनवाई की तारीख के बारे में सूचित करने का कोई प्रयास नहीं किया, जबकि अपीलार्थी के साथ उनके पिछले संबंधों के कारण उनके पास अपीलार्थी की सभी संपर्क जानकारी मौजूद थी।

13. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि वास्तव में दिल्ली की न्यायालयों के पास वर्तमान मुकदमे की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है; क्योंकि चिह्न दिल्ली में पंजीकृत नहीं हैं, प्रत्यर्थागण का पंजीकृत कार्यालय भी दिल्ली में नहीं है, और वादहेतुक का कोई भी हिस्सा दिल्ली में उत्पन्न नहीं हुआ है।

14. नोटिस जारी करें।

15. प्रत्यर्थागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री ममता झा ने नोटिस स्वीकार किया है।

16. प्रत्यर्थागण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी ने कहा कि "दक्षिण" चिह्न प्रत्यर्थागण का है। प्रत्यर्थागण द्वारा होटल के प्रबंधन के दौरान और प्रत्यर्थागण के संपत्ति छोड़ने के बाद, अपीलार्थी को लाइसेंसधारी के रूप में इस चिह्न का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने कहा कि अपीलार्थी, उक्त चिह्न का मात्र लाइसेंसधारी होने के नाते, अन्य संपत्तियों से इसका उपयोग नहीं कर सकता।

17. उनका कहना है कि यह चिह्न प्रत्यर्थागण के नाम पर पंजीकृत है और दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर आदि सहित पूरे भारत में प्रत्यर्थागण द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। उनका कहना है कि प्रत्यर्थागण का चिह्न वर्ष 2000 से पंजीकृत है और इसके उपयोग की तिथि 1989 है, इसलिए अपीलार्थी प्रत्यर्थागण के स्वामित्व को चुनौती नहीं दे सकता। उनका कहना है कि वास्तव में, अपीलार्थी ने स्वयं को प्रत्यर्था संख्या 1 की सहयोगी कंपनी बताकर उक्त चिह्न का पंजीकरण प्राप्त किया था और इसलिए वह ऐसे पंजीकरण का कोई लाभ भी नहीं ले सकता है।

18. उनका कहना है कि अपीलार्थी उक्त चिह्न का उपयोग करके अपने व्यवसाय का विस्तार भी कर रहा है, जिससे न केवल प्रत्यर्थागण के चिह्न का

महत्व कम हो रहा है, बल्कि प्रत्यर्थागण की प्रतिष्ठा और सद्भावना को भी नुकसान पहुंच रहा है।

19. प्रत्यर्थागण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का निवेदन है कि यदि अपीलार्थी के पास आक्षेपित आदेश के विरुद्ध कोई उपाय होता, तो वह अंतरिम आदेश को रद्द करने हेतु विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उचित आवेदन प्रस्तुत कर सकता था; अपीलार्थी विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष अपना उत्तर या लिखित बयान दाखिल किए बिना और विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रत्यर्थागण के कथनों का खंडन किए बिना वर्तमान अपील दायर नहीं कर सकता था।

20. उच्चतम न्यायालय के *मिडस हाइजीन इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम सुधीर भाटिया और अन्य*, (2004) 3 एससीसी 90, और इस न्यायालय के *बीसीएच इलेक्ट्रिक लिमिटेड बनाम ईटन कॉर्पोरेशन और अन्य*, 2016 एससीसी ऑनलाइन डेल 3639 के निर्णयों पर भरोसा करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि मुकदमे को दाखिल करने में मात्र देरी एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा की राहत के लिए हानिकारक नहीं हो सकती है।

21. मुकदमे की अग्रिम सूचना के संबंध में, उन्होंने निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा अपने आरओसी अभिलेख में दिए गए ईमेल पते पर मुकदमे की विधिवत सूचना भेज दी गई थी। उन्होंने निवेदन किया कि अपीलार्थी का यह दावा नहीं है कि ईमेल पता गलत था या उपयोग में नहीं था। उन्होंने

निवेदन किया कि अपीलार्थी जानबूझकर माननीय एकल न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ इसलिए अब एकतरफा पारित आदेश के विरुद्ध शिकायत नहीं कर सकता है।

22. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है।

23. प्रारंभ में, हम इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपने विवेकाधीन अधिकारों के प्रयोग में पारित आदेश पर अपील की सुनवाई करते समय अपने सीमित अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करते हैं। यह न्यायालय सामान्यतः विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग भिन्न तरीके से किया होता। यद्यपि, उपरोक्त बातों के बावजूद, वर्तमान मामले में कुछ विशिष्ट तथ्य हैं, जो इस प्रकार हैं:

क) यह स्वीकार किया जाता है कि अपीलार्थी ने उक्त चिह्न का उपयोग 2015 से न केवल स्वयं द्वारा, बल्कि प्रत्यर्थीगण के एक प्रतिस्पर्धी, अर्थात् इंटर कॉन्टिनेंटल होटल चेन के एक भाग के रूप में भी किया है।

ख) प्रत्यर्थीगण, कम से कम वर्तमान में, यह दावा नहीं करते हैं कि यह एक अनधिकृत उपयोग था जिसके लिए उन्होंने अपीलार्थी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की हो।

ग) अपीलार्थी इस चिह्न का पंजीकृत स्वामी भी है और प्रत्यर्थीगण ने इसके पंजीकरण को चुनौती नहीं दी है।

घ) अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में इस चिह्न का उपयोग केवल उसी परिसर में करेगा जहां उसका रेस्तरां चल रहा है, और वह अपने व्यवसाय का विस्तार किसी अन्य परिसर या खानपान व्यवसाय तक नहीं करेगा, जिसके बारे में प्रत्यर्थीगण ने शिकायत की है।

24. यद्यपि विद्वान एकल न्यायाधीश को प्रतिवादी के विरुद्ध एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश देने का अधिकार प्राप्त है, फिर भी इस आदेश को पारित करने का विवेकाधिकार सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में, "सि.प्र.सं.") के आदेश XXXIX नियम 3 के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए प्रयोग किया जाना चाहिए। सि.प्र.सं के आदेश XXXIX नियम 3 में यह प्रावधान है कि न्यायालय सामान्यतः अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त करने के आवेदन की सूचना विपक्षी पक्ष को निषेधाज्ञा जारी करने से पहले देगा, सिवाय उस स्थिति के जब यह प्रतीत हो कि विलंब से निषेधाज्ञा जारी करने का उद्देश्य विफल हो जाएगा। न्यायालय को अपने उक्त निर्णय का कारण दर्ज करना होगा।

25. वर्तमान मामले में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी के विरुद्ध एकतरफा निषेधाज्ञा आदेश जारी करने का कारण इस प्रकार दर्ज किया है:

“35. 1989 से पूर्व में अपनाए जाने, व्यापक उपयोग, प्रचार और विशिष्ट ट्रेडमार्क DAKSHIN/ **Dakshin**, के अधीन पर्याप्त बिक्री के कारण, प्रथम दृष्टया यह साबित करने में सक्षम रहे हैं कि उन्होंने DAKSHIN नाम के अधीन अपने रेस्तरां में जबरदस्त सद्भावना और प्रतिष्ठा अर्जित की है। इसलिए, एक समान ट्रेडमार्क और व्यापार नाम वाले रेस्तरां को खोलने से वादीगण की साख और प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। वादीगण पक्ष की ओर से प्रथम दृष्टया पासिंग ऑफ का मामला बनता है।

36. सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध है। यदि प्रतिवादी विवादित चिह्न का उपयोग करके रेस्तरां चलाना जारी रखता है, तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इससे जनता को भी पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा क्योंकि यह धारणा बनेगी कि प्रतिवादी द्वारा संचालित रेस्तरां, जिस पर विवादित चिह्न अंकित है, वादीगण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रतिवादी का चिह्न वादीगण के चिह्न के समान है और इससे बाजार में भ्रम की स्थिति पैदा होने की संभावना है।

26. हालांकि, अपीलार्थी की सुनवाई के बाद भी यदि उपरोक्त कारण अपीलार्थी के विरुद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करने के लिए सिद्ध हो जाते हैं, तो वे अपीलार्थी को आवेदन की सूचना दिए बिना एकतरफा निषेधाज्ञा आदेश जारी करने की कसौटी को पूरा नहीं करते हैं। माननीय एकल न्यायाधीश यह समझने में विफल रहे हैं कि अपीलार्थी वर्ष 2015 से ही विवादित चिह्न का उपयोग स्वतंत्र रूप से और वास्तव में प्रत्यर्थीगण के एक प्रतिस्पर्धी के साथ मिलकर कर रहा था। इसने अक्टूबर 2024 में अपना परिसर वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित कर लिया था। प्रत्यर्थीगण का यह तर्क नहीं था कि अपीलार्थी चिह्न का हालिया उपयोगकर्ता था और यदि एकतरफा निषेधाज्ञा आदेश नहीं

दिया जाता है, तो समय बीतने के साथ यह बाद में निरर्थक हो जाएगा। अतः हमारी राय में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले इस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में नहीं रखा है।

27. उपरोक्त के मद्देनजर, हम माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 13.02.2025 को पारित एकतरफा अंतरिम आदेश को अपास्त करते हैं। हम निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी आज से एक सप्ताह के भीतर प्रत्यर्थागण द्वारा दायर अंतरिम आवेदन पर अपना उत्तर दाखिल करे।

28. उपर्युक्त समय अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की सहमति से दिया जा रहा है और अपीलार्थी को जवाब दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा।

29. यदि ऐसा करने की सलाह दी जाए, तो प्रत्यर्थागण इसके एक सप्ताह के भीतर इसका प्रतिउत्तर दाखिल कर सकते हैं।

30. अंतरिम आवेदन, अर्थात् अंतर.आ. 3768/2025 को माननीय एकल न्यायाधीश के समक्ष 18 मार्च, 2025 को विचार के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा, जब माननीय एकल न्यायाधीश को आवेदन की गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करने का प्रयास करना चाहिए।

31. हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने इस अपील पर केवल इस पहलू पर विचार किया है कि क्या प्रत्यर्थागण द्वारा एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा का

मामला बनता है या नहीं, हमने इसके गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

32. प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर निषेधाज्ञा की मांग वाली अंतरिम याचिका पर निर्णय करते समय, माननीय एकल न्यायाधीश वर्तमान आदेश में हमारे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना, याचिका पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार करेंगे।

33. उपरोक्त शर्तों के अनुसार अपील और लंबित आवेदनों का निपटान कर दिया गया है।

न्या. श्री नवीन चावला,

न्या. सुश्री शालिंदर कौर

24 फरवरी, 2025/एसजी/वीएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।